

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद-इटावा

संख्या: 829/जि0आ0अ0-इटावा/व्या0 /21-22/ई-टेण्डर /दिनांक: 04 सितम्बर,2021

ई-टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी इटावा द्वारा देशी मदिरा दुकान पूठन सकरौली एवं देशी मदिरा दुकान जसोहन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष-2021-22 की अवशेष अवधि के लिये व्यवस्थापन किया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	दुकान का नाम/शॉप आई0डी0	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 / बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस			धरोहर धनराशि (रु०में)	हैसियत मूल्य	प्रतिभूति धनराशि
			न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब०ली0)में 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	बेसिक लाइसेंस फीस प्रति ब०ली0 (रुपये में)	वार्षिक लाइसेंस फीस प्रति ब०ली0 (रुपये में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देशी मदिरा पूठन सकरौली (26602)	ग्रामीण	38268	1358514	8648568	135852	(बे०ला०फी०+ला०फी०) का छठवां भाग	ला०फी० का 10 प्रतिशत
2	देशी मदिरा जसोहन (26530)	ग्रामीण	19248	683304	4350048	68331	(बे०ला०फी०+ला०फी०) का छठवां भाग	ला०फी० का 10 प्रतिशत

उक्त दुकान का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवशेष अवधि के लिये आन लाइन निविदा के माध्यम से किया जाना है, जिसकी नियम व शर्तें निम्नवत् है:-

- 1-मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन www.etender.up.nic.in पर आनलाइन ई-टेण्डर/आफर के माध्यम से किया जायेगा।
- 2-सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ संलग्न प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रारूप-2 पर शपथ पत्र www.etender.up.nic.in से ही डाउन लोड कर भरी जायेगी। निर्धारित आवेदन पत्र व शपथपत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथपत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे।
- 3-आवेदन/व्यवस्थापन से संबंधित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही सम्पादित की जायेगी।
- 4-प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट(DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन केवल आन लाइन ही करना होगा अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं है।

- 5—दुकान हेतु आवंटन के लिये भारत के नागरिक ही पात्र होंगे।
- 6—आवेदक आबकारी राजस्व का वकायेदार या आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिये।
- 7—आवेदक आन लाइन प्रकाशन की तिथि को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये।
- 8—यदि कोई दुकान पूर्व में आवेदक के पक्ष में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।
- 9—आवेदक को आन लाइन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित स्कैन—प्रति अनिवार्य रूप से आन लाइन टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी:—
- क— आवेदन पत्र ख— सम्बन्धित शपथपत्र (रूपये 10/- के नान जुडीशियरी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) ग— पैनकार्ड घ— आधार कार्ड च— हैसियत प्रमाण पत्र या आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र छ— प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु **Fee Detail** वाले पेज पर **Fee Payment Mode** के अन्तर्गत ऑन लाइन (चेक बाक्स) सलेक्ट कर किया जायेगा। ज— आवेदक वित्तीय निविदा स्कैन कापी को ही पी0डी0एफ0 फॉर्मेट में आनलाइन फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड करें। इसके लिए वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रारूप (टेण्डर डाक्यूमेण्ट का भाग-2) की स्कैन्ड कापी पी0डी0एफ0 फॉर्म में ही अपलोड की जाये।
- 10—प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेतु रू-20000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु **Fee Detail** वाले पेज पर **Fee Payment Mode** के अन्तर्गत ऑन लाइन (चेक बाक्स) सलेक्ट कर किया जायेगा। प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि को ऑनलाइन जमा करने हेतु आवेदक के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे। 1. इन्टरनेट बैंकिंग 2. चालान जिसमें से किसी एक माध्यम से आवेदक उक्त धनराशि जमा कर सकेगा। चयनित आवेदक के अतिरिक्त अन्य आवेदकों की जमा धरोहर धनराशि उनके उसी खाते में स्वतः वापस हो जायेगी।
- 11—टेक्निकल निविदा में सही पाये गये आवेदकों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- 12—टेक्निकल निविदा के खोलने के समय आवेदक या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
- 13—आवेदक द्वारा गलत तथ्य या करप्ट और फ्राड प्रैक्टिस करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14—अधिकतम ऑफरदाता को मदिरा दुकान आवंटित की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई—टेण्डर/ऑफर प्राप्त होते हैं तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई—टेण्डर/ऑफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
- 15—आवेदक आन लाइन बिड सबमिशन की अन्तिम तिथि तथा समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित कर सकता है अथवा वापस ले सकता है।
- 16—आवेदक को आन लाइन ऑफर भरने पर बिड एकनालिजमेन्ट प्राप्त होगा। जिसे प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।
- 17—एकल आवेदक होने की दशा में व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा।
- 18— देशी मदिरा दुकान के लिये स्वीकृत ई—टेण्डर/ऑफर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा और तदनुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा करायी जायेगी।
- 19—आवंटन समिति किसी भी आन लाइन ऑफर को बिना कारण बताए स्वीकार या निरस्त कर सकती है अथवा सम्पूर्ण आन लाइन प्रक्रिया को निरस्त कर सकती है।
- 20—विभाग किसी तकनीकी खराबी जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो, के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- 21—आवेदक आबकारी अधिनियम-1910 तथा दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में प्राख्यापित नियमावली व आबकारी नीति-2021-22 के निर्देशों को मानने के लिये बाध्य होगा।

22—व्यवस्थापन की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेंगी।

23—प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को **Digital Signatur Certificate (DSC)** भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगी।

24—आन लाइन व्यवस्थापन हेतु समय सारणी निम्नवत है:—

1.	Tender publishing date	06-09-2021 at 10:00
2.	Document download start date	06-09-2021 at 10:00
3.	Document download end date	13-09-2021 at 16:00
4.	Pre bid meeting date	10-09-2021 at 16:00
5.	Bid submission start date	06-09-2021 at 10:00
6.	Bid submission closing date	13-09-2021 at 16:00
7.	Technical bid opening date	15-09-2021 at 11:00
8.	Financial bid opening date	16-09-2021 at 11:00
9.	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall
10.	Tender inviting officer	Collector

जिला आबकारी अधिकारी
इटावा।

जिलाधिकारी
इटावा।

संख्या— 829(1-2) /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:— 1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद इटावा की वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड कराये।
2. विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिला आबकारी अधिकारी
इटावा।